



Regional office

## Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : [rorpcbudaipur@gmail.com](mailto:rorpcbudaipur@gmail.com) Phone no : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/ 1320

Dated: 28.12.21

M/s Udaipur Cement Works Limited Daroli – 1

N/v Daroli, Maderia, Bichiwara, Mandesar &

Mandesar Ka Guda, Tehsil – Vallabhnagar, District – Udaipur

Sub:- Public hearing with respect to Environmental Clearance to M/s Udaipur Cement Works Limited for their Proposed Expansion of Daroli – 1 Limestone Mine (M.L. No. 186/08, Area 703.3051 Ha.) for production capacity from 1.64 Million TPA (Limestone) to 4.53 Million TPA of Total Excavation (Limestone – 4.10 Million TPA + Over Burden – 0.43 Million TPA and Expansion of crusher capacity from 700 TPH to 2770 TPH By installing Additional Crusher (2070 TPH) & expansion in Overland Belt Conveyor (OLBC) Capacity from 1100 TPH to 2770 TPH and increase in OLBC length from existing crusher location to proposed crusher location from 6.5 km to 11.5 km (Existing OLBC Length is 6.5 km which is exists from Existing Crusher to Cement plant and only 5.0 Km additional length will increase from Existing to Proposed crusher within lease area situated near villages – Daroli, Maderia, Bichiwara, Mandesar & Mandesar Ka Guda, Tehsil – Vallabhnagar, District – Udaipur (Rajasthan)

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर पत्र क्रमांक प.39/2( )राज./खनन/2021/2536 दिनांक 27.12.21

Sir,

In reference to above please find enclosed a public note to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/Official state language news paper before 30 days of public hearing date. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at राजीव गांधी सेवा केन्द्र दारोली ग्राम पंचायत, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर at 11.00 AM on 01.02.2022

You are requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi & English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours Faithfully,

(Vinay Katta)  
Regional Officer

Copy to :

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
2. District Collector, Udaipur
3. Analyst Cum Programmer, RSPCB, Jaipur to display public notice on website of State Board.

Programmer  
31/12/21

28/12  
Regional Officer

## क्षेत्रीय कार्यालय

### राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : [rorpcbudaipur@gmail.com](mailto:rorpcbudaipur@gmail.com) फोन नं. : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/

Dated :

#### पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, दरोली-1 चूना पत्थर खदान, एम.एल.न० 186/08, एम.एल. क्षेत्रफल 703.3051 हैक्टेयर, ग्राम-दरोली, मन्देरिया, बिच्छीवाड़ा, मंदेसर, मंदेसर का गुड़ा तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना दरोली-1 चूना पत्थर खदान, एम.एल.न० 186/08, एम.एल. क्षेत्रफल 703.3051 हैक्टेयर, के लिए उत्पादन क्षमता 1.64 मिलियन टन प्रतिवर्ष, (चूना पत्थर) से 4.53 मिलियन टन प्रतिवर्ष, कुल उत्खनन (चूना पत्थर - 4.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओवरबर्डन 0.43 मिलियन टन प्रतिवर्ष ओर क्रशर क्षमता का विस्तार 700 टन प्रति घण्टा से 2770 टन प्रति घण्टा अतिरिक्त क्रशर स्थापित करते हुए (2070 टन प्रति घण्टा) ओर ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर क्षमता का विस्तार 1100 टन प्रति घण्टा से 2770 टन प्रति घण्टा एवं ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर की लम्बाई में वृद्धि 6.5 किलोमिटर से 11.5 किलोमिटर (वर्तमान ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर की लम्बाई 6.5 किमी. जो कि मौजूदा क्रशर से सीमेंट प्लांट तक है और केवल 5 किमी अतिरिक्त लम्बाई में वृद्धि जो कि मौजूदा क्रशर से प्रस्तावित क्रशर खदान क्षेत्र के भीतर है) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, दरोली-1 चूना पत्थर खदान, एम.एल.न० 186/08, एम.एल. क्षेत्रफल 703.3051 हैक्टेयर, ग्राम-दरोली, मन्देरिया, बिच्छीवाड़ा, मंदेसर, मंदेसर का गुड़ा तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना दरोली-1 चूना पत्थर खदान, एम.एल.न० 186/08, एम.एल. क्षेत्रफल 703.3051 हैक्टेयर, के लिए उत्पादन क्षमता 1.64 मिलियन टन प्रतिवर्ष, (चूना पत्थर) से 4.53 मिलियन टन प्रतिवर्ष, कुल उत्खनन (चूना पत्थर - 4.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओवरबर्डन 0.43 मिलियन टन प्रतिवर्ष ओर क्रशर क्षमता का विस्तार 700 टन प्रति घण्टा से 2770 टन प्रति घण्टा अतिरिक्त क्रशर स्थापित करते हुए (2070 टन प्रति घण्टा) ओर ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर क्षमता का विस्तार 1100 टन प्रति घण्टा से 2770 टन प्रति घण्टा एवं ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर की लम्बाई में वृद्धि 6.5 किलोमिटर से 11.5 किलोमिटर (वर्तमान ऑवरलेण्ड बेल्ट कन्वेयर की लम्बाई 6.5 किमी. जो कि मौजूदा क्रशर से सीमेंट प्लांट तक है और केवल 5 किमी अतिरिक्त लम्बाई में वृद्धि जो कि मौजूदा क्रशर से प्रस्तावित क्रशर खदान क्षेत्र के भीतर है) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
2. और चूकिं मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्यां एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
  - (1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर
  - (2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
  - (3) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - (4) उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला-उदयपुर
  - (5) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
  - (6) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
  - (7) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 01.02.2022 को पूर्वाह्न 11.00 A.m. बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र दारोली ग्राम पंचायत, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना कि गाईडलाईन एवं महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं

क्षेत्रीय अधिकारी